281

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर

निगरा 2565-J/16

मुकेश तनय गुलाब यादव ,

निवासी ग्राम अनंतपुरा, तहसील–जिला टीकमगड म0प्र0

.....आवेदक

वनाम

1– म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़

2– देवेन्द्र कुमार तनय स्व देवकीनंदन बुखारिया ,

3– महेश प्रसाद तनय राधाचरन सोनी ,

4– पंकज पुत्र सीताराम श्रीवास्तव ,

5– एम0 एल0 मीणा पुत्र श्री बद्रीलाल मीणा

सभी निबासी टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ म0 प्र0

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 19/बी121/08–09 में पारित आदेश दिनांक 07/11/2009 से परिवेदित होकर कर रहा है ।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि आवेदक के नाम पर ग्राम अनन्तपुरा स्थित भूमि, खसरा नंबर 264/1/3ग रकवा 0.563 हैक्टेयर, तथा खसरा नंबर 540/2 रकवा 0.243 हेक्टेयर बर्ष 1988–89 से लगातार 1997–98 तक तथा उसके पूर्व से खसरा पांचसाला में 12/13 हिस्सा में दर्ज रहीं तथा 1/13 हिस्स में अनावेदक कमांक महेश के नाम पर दर्ज रहीं। उपरोक्त भूमि के सह स्वामी रिस्पॉ0 कमांक 02 द्वारा उपरोक्त भूमि आवेदक की जानकारी एवं सहमति के बगैर रिस्पॉ0 कमांक 04 एवं पांच को जरिये बैनामा के

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2565/I/2016 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश **मुकेश यादव वनाम म0 प्र0 शासन व अन्य**	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27.9.16	1– मैंने प्रकरण का अवलोकन किया, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 19/बी121/08–09 में पारित आदेश दिनांक 07/11/2009 से दुखित होकर प्रस्तुत की है। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का अवेदनपत्र तथा सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये। प्रकरण का अवलोकन किया गया। बिलंब का कारण उचित होने से धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र स्वीकार करके निगरानी समय सीमा में मान्य की जाती है। 2– आवेदक द्वारा अपने तर्कों में उन्हीं आधारों को दुहराया है, जो निगरानी आवेदनपत्र में लेखे किये गये हैं। आवेदक की ओर से निगरानी के साथ सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, निगरानी आवेदनपत्र, प्रश्नाधीन आदेश एवं संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जिनके अनुसार प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, ग्राम अनंतपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 264/1/3ग रकवा 0.563 एवं खसरा नंबर 540 रकवा 0.243 हैक्टेयर को वादभूमि के सह स्वामी रिस्पॉ0 कमांक 03 द्वारा आवेदक की जानकारी एवं सहमति के बगैर रिस्पॉ0 कमांक चार एवं पांच को जरिये बैनामा के बिकय कर दी। जिसके आधार पर उनका नामांतरण भी दर्ज हो गया। उपरोक्त भूमियों के संबंध में अनावेदक कमांक दो द्वारा एक आवेदनपत्र कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में संहिता की धारा 165/7/ख का इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि म0 प्र0 शासन की है, जिसे तत्कालीन पटवारी द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के अनावेदक महेश सोनी के नाम पर दर्ज कर दिया है। जिसके आधार पर कलेक्टर द्वारा तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन लेकर मात्र इस आशंका के आधार पर कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में जिन प्रकरणों का हवाला दिया गया है वह संदिग्ध है। वादभूमि शासन के नाम दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया जिससे दुखित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

3— आवेदक की ओर से ग्राम अनंतपुरा स्थित वाद भूमि का खसरा पांच साला बर्ष 1988—89 से 1997—98 तक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है। जिसमें वाद भूमि खसरा के कॉलम नंबर 03 में खसरा नंबर 264/1/3ग 0.563 हैक्टेयर महेश तनय राधाचरण के नाम से 1/13 हिस्सा तथा मुकेश तनय गुलाब के नाम से 12/13 हिस्सा भूमि स्वामी दर्ज है। इसी प्रकार 540/2 रकवा 0.243 हैक्टेयर महेश तनय राधाचरण के नाम से 1/10 हिस्सा तथा मुकेश तनय गुलाब के नाम से 09/10 हिस्सा भूमि स्वामी दर्ज है। जिससे स्पष्ट है कि आदेश दिनांक को वाद भूमि आवेदक के नाम पर भी खसरा में दर्ज थीं। आलोच्य आदेश का अवलोकन करने पर यह भी स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो आवेदक को पक्षकार बनाया, ना ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर ही प्रदान किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय के सिद्वांतों का पालन नहीं किया है ना ही विधिवत बिचारण किया गया है, ना तो शिकायत कर्ता के कथन लेख किये गये, ना ही अनावेदकगण के ही कथन लेख कराये गये हैं, अधिनस्थ न्यायलाय द्वारा संपूर्ण कार्यवाही मात्र पटवारी के प्रतिवेदन एवं शिकायतकर्ता की शिकायत को आधार मानकर की है। जबकि वादभूमि पर आवेदक का नाम खसरा पांच साला में दर्ज था। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेशास्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है, अधिनस्थ न्यायालय कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 190/बी121/08—09 में पारित आदेश दिनांक 07/11/2009 निरस्त किया जाता है। संबंधित तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण की उपरोक्त वादभूमि पर आवेदक का नाम खसरा नंबर 264/1/3ग 0.563 हैक्टेयर पर महेश तनय राधाचरण के नाम से 1/13 हिस्सा तथा मुकेश तनय गुलाब के नाम से 12/13 हिस्सा तथा खसरा नंबर 540/2 रकवा 0.243 हैक्टेयर महेश तनय राधाचरण के नाम से 1/10 हिस्सा तथा मुकेश तनय गुलाब के नाम से 09/10 हिस्सा भूमि स्वामी दर्ज किया जावे। उभयपक्ष सूचित हों। प्रकरण का परिणाम दर्ज करके दा0 द0 हो।

सदस्य